WHO द्वारा जारी अलर्ट

चर्चा में क्यों ?

- WHO ने इराक में बेचे जाने वाले दूषित भारतीय सिरप के खिलाफ अलर्ट जारी किया है जो भारत निर्मित सिरप पर अलर्ट की श्रृंखला में नवीनतम है।

'विश्व स्वास्थ्य संगठन' के बारे में

- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (World Health Organization-WHO) की स्थापना वर्ष 1948 हुई थी।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।
- वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं। 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ-साथ इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं।
- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है।

सचिवालय

- सचिवालय में महानिदेशक और ऐसे तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारी शामिल किये जाते हैं जिनकी संगठन के लिये आवश्यक माना जाता है।

- विश्व स्वास्थ्य असेम्बली द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप बोर्ड द्वारा नामांकन के आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है।

सदस्यता एवं सह सदस्यता

- संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं।
- ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रीय समूह जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिये ज़िम्मेदार नहीं हैं, उन्हें स्वास्थ्य असेम्बली द्वारा सह सदस्यों के रूप में नामित किया जा सकता है।

WHO अलर्ट

- WHO के अनुसार पेरासिटामोल सिरप कोल्ड आउट - चेन्नई मुख्यालय वाली फोर्ट्स लेबोरेटरीज द्वारा निर्मित है
- इसमें 0.25% डायइथिलीन ग्लाइकॉल (DG) और 2.1% एथिलीन ग्लाइकॉल (EG) पाया गया है। चिकित्सा उत्पादों में दोनों संदूषकों की स्वीकार्य सीमा 0.10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यह अलर्ट लोगों को सिरप का सेवन न करने, स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रतिकूल घटनाओं के किसी भी मामले की रिपोर्ट करने और राष्ट्रीय नियामकों को निगरानी बढ़ाने की चेतावनी देता है।

कारण

- गाम्बिया में 70 बच्चों, उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों और कैमरून में 6 बच्चों की मौत का करण भारत निर्मित दूषित सिरप को माना गया है।
- दवा नियमों के विशेषज्ञों के अनुसार संदूषकों का सबसे संभावित स्रोत सिरप के लिए उपयोग किए जाने वाले **प्रोपलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरीन** जैसे सॉल्वैंट्स हैं।
- इस दूषित सिरप का उपयोग करने से पेट दर्द, उल्टी, दस्त, सिरदर्द, मानसिक स्थिति में बदलाव, पेशाब करने में असमर्थता, गंभीर गुर्दे की बीमारी और मृत्यु भी हो सकती है।

- अंतरसरकारी संगठन ने जारी पहली चेतावनी के बाद से DEG और EG से दूषित सिरप के लिए 5 अलर्ट जारी किए हैं।
- पाँच चेतावनियों में से, केवल एक घटना में इंडोनेशिया निर्मित सिरप में संदूषण शामिल था जिसके कारण देश के भीतर मौतें हुईं। इनके अलावा, नाइजीरिया की नेशनल एजेंसी फॉर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल (NAFDAC) ने भी मुंबई स्थित एक कंपनी द्वारा निर्मित सिरप के खिलाफ अलर्ट जारी किया है।

भारत द्वारा उठाया गया कदम

- सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निर्यात से पहले कफ सिरप का परीक्षण अनिवार्य कर दिया है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका से भी आंखों की बूंदों और मलहमों में जीवाणु संदूषकों की रिपोर्टें आई हैं।
- स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 'दूसरे देशों में संदूषण की 13 घटनाएं सामने आई हैं। हालाँकि, हमें इस मामले पर केवल उज़्बेकिस्तान से ही उचित संचार प्राप्त हुआ है।"